



Undertaking of Forest Right Act (FRA)

Full title of the project:

Proposal for diversion of **331.475 hectares of Reserve Forest land** under Kajrahat (Dalla) Limestone Mine for mining purposes in favour of **UltraTech Cement Limited**, Unit – **Dalla Cement Works**, Dalla, falling under **Obra Forest Division**, District **Sonbhadra**, Uttar Pradesh.

Proposal No:

FP/UP/MIN/47074/2020

Forest land proposed for Diversion:

331.475 hectares

M/s UltraTech Cement Limited (UTCL) shall ensure initiation and completion of the process under the **Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA)**, in compliance with the conditions prescribed under the Stage-I approval of the aforesaid forest diversion proposal.

It is further submitted that the **Forest Rights Act (FRA) Certificate** has already been issued by the District Collector, Sonbhadra, vide order dated 24.06.2020, in the form of a No Objection Certificate (NOC) (copy enclosed).

UltraTech Cement Limited undertakes to submit the said FRA Certificate to the competent authority after receipt of Stage-I approval from the Central Government, as stipulated under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, and in accordance with other applicable laws, rules, and guidelines issued by the Government of India from time to time.

This undertaking is given in good faith and shall be binding on UltraTech Cement Limited.



Name: Rajendra Kabra

Designation: COO

For and on behalf of: UltraTech Cement Limited

Place: Lucknow

Date: 12-06-2026

UltraTech
CEMENT
The Engineer's Choice

UltraTech Cement Limited

Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonebhadra (UP) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093. Tel.: +91 22 66917800

कार्यालय जिलाधिकारी सोनभद्र ।

पत्रांक- 554 / भूव्योली-अनापत्ति

दिनांक जून 24 , 2020

विषय:- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में।

श्री राहुल सिंघल,
यूनिट हेड,
आदित्य बिड़ला, अल्ट्राटेक
डाला।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-यूटीसीएल/डीएलसीडब्लू/2020-21 दिनांक 23जून 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की अपेक्षा की गयी है। इस सन्दर्भ में अवगत कराना है कि जिला स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 10.02.2017 को अनापत्ति, जिला स्तरीय समिति का कार्यवृत्त जारी किया जा चुका है।

अस्तु पुनः जिला स्तरीय समिति से उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का औचित्य नहीं है।

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।



जिला स्तरीय समिति का कार्यवृत्त


आज दिनांक 10/10/2017 को वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति () की बैठक आहुत की गयी ।


उक्त समिति में डाला सीमेन्ट फैक्ट्री (जय प्रकाश एसोसिएट्स लि0) द्वारा ग्राम कोटा में 465.102 हे0 ग्राम पनारी में 70.012 हे0 एवं ग्राम पडरछ में 51.064 हे0 (कुल आवेदित रकवा 586.178 हे0) परगना अगोरी , तहसील सदर, जिला सोनभद्र में आवेदित वन भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) वानाधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम समितियों/ग्राम पंचायतों एवं उप खण्ड स्तरीय द्वारा लिये गये निर्णय पर विचार किया गया।


समितियों के निर्णय के अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों का कोई कब्जा/पट्टा नहीं है, तथा उनके अधिकार सम्बन्धित कोई भी प्रस्ताव/दावा लम्बित नहीं है।

अतः समिति द्वारा ग्राम कोटा (465.102हे0), ग्राम पनारी (70.012) एवं ग्राम पडरछ (51.064 हे0) कुल प्रस्तावित 586.178 हे0 वन भूमि को जय प्रकाश एसोसिएट्स लि0 द्वारा सीमेन्ट उत्पादन हेतु खनन कार्य एवं जेपी सुपर सीमेन्ट प्लान्ट की स्थापना हेतु हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय पर इस समिति को कोई आपत्ति नहीं है। अतः यह समिति सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करती है।

संलग्नक :- ग्राम सभा समितियों के द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव की प्रतियाँ।


जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
सोनभद्र


प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा सोनभद्र।


जिलाधिकारी
सोनभद्र



उप खण्ड स्तरीय समिति का कार्यवृत्त


आज दिनांक 09/02/2017 को वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति (Sub Divisional Level Committee)की बैठक आहूत की गयी ।

उक्त बैठक में डाला सीमेन्ट फैक्ट्री (जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड) द्वारा ग्राम कोटा में 465.102 हे०, ग्राम पनारी में 70.012 हे० एवं ग्राम पडरछ में 51.064 हे० (कुल आवेदित रकवा 586.178 हे०) परगना अगोरी, तहसील सदर, जिला सोनभद्र में आवेदित वन भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव पर अधिसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम समितियों/ग्राम पंचायतों की बैठक में लिये गये निर्णय पर विचार किया गया ।


ग्राम समितियों के निर्णय के अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों का कोई कब्जा/पट्टा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धित कोई भी प्रस्ताव/दावा लम्बित नहीं है ।

अतः ग्राम समितियों द्वारा प्रस्तावित 586.178 हे० वन भूमि को जयप्रकाश एसोसिएट्स लि० द्वारा सीमेन्ट उत्पादन हेतु खनन कार्य एवं जेपी सुपर सीमेन्ट प्लान्ट की स्थापना हेतु हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय पर इस समिति को कोई आपत्ति नहीं है अतः यह समिति सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुये प्रस्ताव को जो कि इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है को अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रेषित करती है ।


संलग्नक- ग्राम सभा समितियों के द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव की प्रतियाँ ।


9-2-2017
सहायक विकास अधिकारी
(सोनभद्र)

सोनभद्र


9/2/17
(सोनभद्र)
उप प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा, सोनभद्र


9/2/2017
उप जिलाधिकारी

सदर, सोनभद्र

(नाम मुहर सहित हस्ताक्षर)

(नाम मुहर सहित हस्ताक्षर)

(नाम मुहर सहित हस्ताक्षर)

